



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(राजीव गांधी शैल्यालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India



व्यापारिक इलाके, कर्नाटक, नं. 10, बिन्नीफील्ड्स, बैंगलोर-560 023
क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक, नं. 10 बिन्नीफील्ड्स, बैंगलोर - 560 023.
REGIONAL OFFICE, KARNATAKA, NO. 10 BINNYFIELDS,
BINNYPET, BENGALURU-560 023,
Phone - 080-26742485, E-Mail - rd-karnataka@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in

53.D.12.18.13.2022.ESTT

दिनांक: 29-04-2025

परिपत्र/ CIRCULAR

विषय:- पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जो ई.एस.आई.सी. पी.एम.एस. योजना में पुनः शामिल होना चाहते हैं-के संबंध में।

Sub:- Pensioners/Family Pensioners who wish to rejoin ESIC PMS Scheme-reg.

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय के दिनांक 04.04.2025 के पत्र संख्या एफ. सं. डी-12/16/1/2022-ई. VI. खंड II को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के संबंधित पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठा रहे हैं, वे पेंशनभोगी चिकित्सा योजना (पीएमएस) में पुनः शामिल होने की अपनी इच्छा प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, बैंगलोर को ईमेल admn-karnataka@esic.nic.in के माध्यम से या मुख्यालय को प्रेषित करने के लिए 12.05.2025 तक डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं।

Kind attention is invited to Headquarters letter No. F. No.D-12/16/1/2022-E.VI.Vol.II dated 04.04.2025 on the above-mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary action. Accordingly concerned Pensioners/Family Pensioners of Regional Office, Bangalore, who are currently availing Fixed Medical Allowance (FMA) may submit their willingness for rejoining the Pensioner Medical Scheme (PMS) to Administration Branch, Regional Office, ESIC, Bangalore through email admn-karnataka@esic.nic.in or post by 12.05.2025 for onward transmission to Headquarters.

यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।/
This issues with the approval of Regional Director.

संलग्न: /Encl: यथोपरि /As above.

Digitally signed by
SWETA SINHA
Date: 29-04-2025
15:16:33 (स्वेता सिन्हा)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि/Copy to:

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स/All the Regional Office, Bangalore Pensioners/Family Pensioners.
- महासचिव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशनर्स एसोसिएशन, कर्नाटक।/The General Secretary, ESIC Pensioners' Association, Karnataka.
- वेबसाइट की प्रति। /Web site copy.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(अम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी० आई० जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No.D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II

दिनांक: 04-04-2025

सेवा में,
सभी नोडल अधिकारी
(ESIC-PMS)

विषय: ईएसआईसी पीएमएस योजना में पुनः शामिल होने के इच्छुक पेंशनभोगियों का विवरण

Details of Pensioners who wish to re-join ESIC-PMS scheme-reg

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, विभिन्न हितधारकों से ईएसआईसी पेंशनभोगी चिकित्सा योजना में शामिल होने के लिए उन्हें प्राप्त फ़िकर्स्ड मेडिकल एलोवेन्स की वापसी के लिए छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

With reference to above subject, requests have been received from various stakeholders to provide waiver for refund of Fixed Medical Allowance received by them for joining ESIC Pensioners' Medical Scheme.

ईएसआईसी पीएमएस के 25.5.2021 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पीएमएस में प्रवेश के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करता है तो उसे 30 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा एवं उसके द्वारा प्राप्त FMA को वापस करना होगा।

As per revised guidelines of ESIC PMS 25.5.2021, If the pensioner submits his option for entry to PMS after the date of retirement he would be required to pay an admission fee of Rs. 30 and refund the FMA received by him.

सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उन पेंशनभोगियों के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराएं जो ESIC PMS में फिर से शामिल होना चाहते हैं:

All Nodal Officers are requested to provide data in r/o pensioners who wish to re-join ESIC Pensioners' Medical in following format:

Name of the Location	Total Number of Pensioners	Number of pensioners receiving FMA	Number of pensioners who wish to re-join PMS	Amount of FMA to be refunded as per existing guidelines from 25.5.2021

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of competent authority.

भवदीय,

Digitally signed by
Amresh Kumar Jha

Date: 04-04-2025

सहाय्यक निदेशक (स्था-6)

प्रतिलिपि: 1. All India ESIC Pensioners' Federation

2. Website Content Manager

Amresh